पत्रांकः— वन भूमि—94 / 2018..... / प०व०

# बिहार सरकार

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

**प्रेषक,**

**मोख्तारूल हक,**
परामर्शी।
**वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।**

**सेवा में,**

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,**
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

**पटना—15, दिनांक.....**

**विषय** :— सारण जिलान्तर्गत NH-101, छपरा—बनियापुर—मलमलिया—मोहम्मदपुर (01.500—15.500 कि०मी० और 30.000—34.075 कि०मी० ) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 5.4525 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—190 (ई०) दिनांक—16.02.1994 एवं अधिसूचना संख्या—485 (ई०) दिनांक—15.04.1994 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 5.4525 हे० वन भूमि अपयोजन एवं 13278 वृक्षों के पातन की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

| क्र०सं० | पातित होने वाले वृक्षों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 0.00—60 CM तक | 60 CM से अधिक |
| 1 | 322 | 12956 |

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.4 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा निर्गत कुल—5.4525 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण—पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 5.4525 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 10.905 हे0 अर्थात 11.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल रोहतास के सासाराम प्रक्षेत्र अन्तर्गत रेडिया PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है, जो संलग्न प्रेषित है।

क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण—पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 5.4525 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 43,78,358/-(तेतालीस लाख अठत्तर हजार तीन सौ अन्ठावन रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. अपयोजित होने वाली 5.4525 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए रोहतास वन प्रमंडलन्तर्गत 11.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि रेडिया PF सुरक्षित वन चिन्हित करते हुए रू० 26.35 लाख मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1028/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

6. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर यथासम्भव 0.00-60 से०मी० एवं उससे अधिक के पौधों को Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी

**ज्ञापांक** :- वन भूमि-94/2018................./प०व०, पटना-15, दिनांक..........................................

**प्रतिलिपि** :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी

**ज्ञापांक** :- वन भूमि-94/2018 28(52)/प०व०, पटना-15, दिनांक 08/01/19

**प्रतिलिपि** :-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी

VR S One-26